संख्या- 635/26-ब0प्र0-2013-100(19)/2012

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक: 11 नवम्बर, 2013

विषय- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए टी0एस0पी0 (अनुसूचित जनजातियों) के लिए अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0 6,98,195/- अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या- 5/1401/2013-5/53/2013, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 22.50 लाख में से रू0 6,98,195/- (रू0 छः लाख अट्ठानबे हजार एक सौ पन्चानबे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित निर्देशों कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- प्रश्नगत धनराशि टी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों हेतु टी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा। उक्त स्वीक़त धनराशि का व्यय केवल अनूसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध मं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

6- उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं- 0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना)-भारत सरकार की सहायता राज्यांश-20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जाएगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यता दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एकमुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

12- उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2031/दस-2013, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या-631(1)/26-ब0प्र0-2013-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 /एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in